बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024 1574 पटना, दिनांक :– 12/05/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया जी के पत्रांक 601 दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुश्री अनिशा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13790) दिनांक 29.08.2024 से 12.09.2024 तक अनाधिकृत अनुपस्थित रही है एवं पुनः दिनांक 28.09.2024 से लगातार अनुपस्थित हैं, जिसके संबंध में इनसे स्पष्टीकरण की मांग भी की गयी है, परन्तु इनका प्रतिउत्तर संतोषप्रद नहीं है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इनके अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से सर्वे का कार्य प्रभावित हो रहा है। फलस्वरूप इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आलोक में संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 476 दिनांक 28.01.2025 द्वारा सुश्री अनिशा से 07 दिनों के स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिउत्तर पर निदेशालय पत्रांक 2097 दिनांक 14.05.2025 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 1104 दिनांक 02.04.2026 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी मंतव्य सहित स्पष्ट अनुशंसा की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 311 दिनांक 06.04.2026 द्वारा मंतव्य दिया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा एवं सुश्री अनिशा से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। सुश्री अनिशा द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि इनकी एवं इनके पिता जी की तबियत खराब है, जिसके कारण यह कार्यस्थल पर वापस नहीं लौट पा रही हैं। इनके द्वारा स्पष्टीकरण के साथ न तो अपनी और न ही अपने पिता जी की अस्वस्थता से संबंधित कोई भी चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जो इनके स्पष्टीकरण का समर्थन करता हो। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया है कि ये अपने कार्यक्षेत्र से बिना सूचना के अनुपस्थित हैं एवं रैयतो से प्राप्त प्रपत्र–02 एवं प्रपत्र–3(1) बिना अपलोड किये किसी अन्य व्यक्ति से कार्यालय में वापस किया गया है एवं योगदान के नाम पर बार–बार बहाने बनाती हैं। फलस्वरूप बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पुनः संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिससे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं, इसके बावजूद लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहता एवं बिना साक्ष्य के बिमारी का बहाना बनाकर बार–बार समय की मांग करना इनके मनमानेपन को स्वतः परिलक्षित करता है। साथ ही इनके इस तरह के कृत्य से बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर लगाए गए आरोप प्रमाणित हो रहे हैं। यदि इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त कर समय दिया जाता है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर भी पड़ सकता है। इस परिपेक्ष्य में इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

क्रमशः 30

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत सुश्री अनिशा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13790), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

Suharsh 11/05/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024 1574 **पटना, दिनांक** :– 12/05/2026

प्रतिलिपि :– सुश्री अनिशा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13790), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ प्रेषित।

Suharsh 11/05/26

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024 1574 **पटना, दिनांक** :– 12/05/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharsh 11/05/26.

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024 1574 **पटना, दिनांक** :– 12/05/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Suharsh 11/05/26.

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप